न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 41/2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
गेनगिरी पुत्र अनोपगिरी जाति गिरी (गुंसाई) निवासी हेमपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर।		1 सुगनगिरी पुत्र अनोपगिरी जाति गिरी (गुंसाई) निवासी हेमपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर। 2 अनोपगर उर्फ अनोपगिरी पुत्र नारायणगर उर्फ नारायणगिरी जाति गिरी (गुंसाई) निवासी हेमपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर। 3 तहसीलदार, खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश सेन अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 23.05.2025

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसील खींवसर के मौजा हेमपुरा के नामान्तरकरण सं. 783 निर्णय दिनांक 09.07.2024 से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.08.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 14.08.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 02 की ओर से श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा हेमपुरा के नामान्तरकरण संख्या 783 की फोटोप्रति, मौजा हेममुरा की जमाबंदी संवत् 2077 की फोटोप्रति, मौजा बिरलोका की खतौनी सम्वत् 2038 से 41 की फोटोप्रति, दानपत्र दिनांक 17.05.2024 की फोटोप्रति, गेनगिरी के आधार कार्ड की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया कि–

{2}(I)– अपीलांट के पुश्तैनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1190 रकबा 19 बीघा 8 बिस्वा मौजा हेमपुरा तहसील खींवसर में स्थित रहा है जो पूर्व में अपीलांट के दादा नारायणगर के नाम से खातेदारी में दर्ज था तथा उनकी मृत्यु पश्चात उक्त भूमि की खातेदारी में दर्ज था तथा उनकी मृत्यु पश्चात उक्त भूमि की खातेदारी अकेले अपीलांट के पिता रेस्पोडेंट संख्या 2 अनोपनगर उर्फ अनोपगिरी के नाम से खातेदारी में दर्ज हो गई जिसके वर्तमान में खसरा नम्बर 1871/1190 रकबा 3.0190 हैक्टयर व 1870/1190 गेर मुमकिन रास्ता कायम हुए, जो रेस्पोडेंट संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज थे। उक्त खेताय अपीलांट के पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी के सहकब्जा काश्त सुदा खेताय है। उक्त खेताय में अपीलांट का कानूनन हक हिस्सा निहित करता है। किन्तु रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपीलांट को उसकी पुश्तैनी भूमि में स्थित हक हिस्से से महरूम करने की नियत से रेस्पोडेंट संख्या 1 जो अपीलांट का बडा भाई है उसके नाम से बिना किसी कारण के ही बक्सीसनामा/दानपत्र निष्पादित करवा दिया। उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि रही है इसलिए पुश्तैनी भूमि का बिना बंटवाडा करवाये किसी एक के पक्ष में दान/रहन/बेचान करने का किसी भी प्रकार से कानूनी अधिकार रेस्पोडेंट संख्या 2 को न होने के बावजूद भी उक्त खसरा नम्बर 1871/1190 रकबा 3.0190 हैक्टेयर में से 2.2663 हेक्टयेर भूमि का दान पत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 17.05.24 को निष्पादित करवा दिया, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 2 वृद्व व्यक्ति है जिनकी मानसिक स्थिति भी कमजोर है तथा सोचने समझने की भी क्षमता नहीं है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बाले बाले अपीलांट की बिना जानकारी के कथित दान पत्र अपने पक्ष में निष्पादित करवा लिया, जो विधि दृष्टि से शुरू से ही शुन्य है। इस प्रकार दिनांक 09.07.2024 को नामान्तरकरण संख्या 783 स्वीकृत कर दिया जो अवैध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

23/5/25

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)– नामान्तरकरण आदेश जैर अपील विधि विरूद्व तथा साक्ष्य सबूतों के विपरीत मनमाने ढंग से कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–विवादित खसरा नम्बर 1871/1190 रकबा 3.0190 हैक्टेयर में से 2.2663 हैक्टयर वाके ग्राम हेमपुरा तहसील खींवसर व जिला नागौर अपीलांट के पुश्तैनी खेत है, जिसकी खातेदारी पूर्व में अपीलांट के दादा नारायणगिरी के देहांत के पश्चात वादग्रस्त खेताय की खातेदारी उनके पुत्र रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दी गई, किन्तु उक्त खेताय में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलांट का जन्म से ही हक हिस्सा निहित करता आया है। इस प्रकार अपीलांट का विवादित खेताय में हक, हिस्सा जन्म से ही निहित करता आया है।

{2}(IV)– तहसीलदार को उक्त कथित दान पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद तहसीलदार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार किया जो शुरू से ही अवैध व शून्य होने से अपास्त होने योग्य है।

{2}(V)–अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व धारा 135 भू राजस्व अधिनियम तथा राजस्व नियमों के विपरित होने से अवैध है।

{2}(VI)–नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत किए जाने से पूर्व रेस्पो. संख्या 3 ने किसी प्रकार की कोई जांच पुश्तैनी अथा स्वअर्जित सम्पति होने बाबत नहीं की, न ही अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस दिया, न ही सुनवाई का अवसर दिया, इस प्रकार अवैध व विधिविरूद्व ढंग से नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकृत कर दिया, जो काबिज निरस्त किए जाने योग्य है।

{2}(VII)–अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया और न ही दान पत्र की सत्यता व कब्जे संबंधि कोई जांच की, इसलिए भी अपीलाधीन आदेश अवैध व शून्य है तथा अपने कथन के समर्थन में K.C. Laxmana vs K.C. Chandrappa Gowda Judgment Date 19-04-2022 Page 01 to 04 की नजीर पेश की।

{3}–वकील रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 02 ने अपनी बहस में बताया कि रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। नामान्तरकरण जैर अपील विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए भरा गया है। जो विधिसम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये। अपील सारहीन होने से खारिज की जाने योग्य है।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसील खींवसर के मौजा हेमपुरा के नामान्तरकरण सं. 783 निर्णय दिनांक 09.07.2024 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रकरण में पंजीकृत दानपत्र के आधार पर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है, जहां पक्षकारो के स्वत्व अधिकार निर्णीत नही किये जा सकते है। स्वत्व निर्धारण हेतु नियमित न्यायालय मे चाराजोही की जानी चाहिये। उक्त नामान्तरकरण विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/5/24

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर